अध्याय - 4
एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969

नीति, प्रावधान और कार्य-निष्पादन

4.1 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 का मूल आधार भारत के संविधान में समाविष्ट राज्य के नीति निर्देशक सिद्वान्त हैं । संविधान के अनुच्छेद 39 के खंड (ख) तथा (ग) में उल्लिखित है कि राज्य निम्न को सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीति निर्दिष्ट करेगा कि -

(1) समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व तथा नियंत्रण का वितरण इस प्रकार हो कि वे सामूहिक हित का सर्वोत्तम साधन हों; और

(2) आर्थिक व्यवस्था का प्रचालन इस प्रकार हो कि संपत्ति तथा उत्पादन के साधन सर्व-साधारण के लिए अहितकारी केन्द्र न हों ।

एकाधिकार, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित प्रावधान

4.2.1 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार अधिनियम, 1969 की धारा 10 एमआरटीपी आयोग को एकाधिकार या अवरोधक व्यापार प्रथाओं को केन्द्रीय सरकार द्वारा संदर्भित किए जाने या स्वयं की जानकारी से या सूचना प्राप्त होने पर जाँच करने की शक्ति प्रदान करते हैं । एमआरटीपी अधिनियम, 1969 एमआरटीपी आयोग द्वारा जांच के उद्देश्य से तथा प्रतिबंधित व्यापार प्रथाओं से संबंधित समझौतों के रजिस्टर के रख-रखाव के लिए एक जाँच एवं पंजीकरण महानिदेशक की नियुक्ति का प्रावधान भी करता है ।

4.2.2 एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग को पंजीकृत उपभोक्ता और व्यापारिक समितियों से तथा व्यक्ति विशेष से भी शिकायतें या तो सीधे या सरकार के विभिन्न विभागों के माध्यम से प्राप्त करता है । किसी संस्था से प्राप्त अवरोधक व्यापारिक व्यवहार या अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित शिकायतों को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 11 और 36 ग के अधीन तथा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग विनियम 1974 के विनियम 119 के अंतर्गत प्रारंभिक जांच के लिए महानिदेशक जाँच एवं पंजीकरण को संदर्भित किया जाना अपेक्षित है । आयोग, केन्द्रीय / राज्य सरकार से प्राप्त या स्वयं की जानकारी पर भी अवरोधक प्रथा से संबंधित संदर्भों पर महानिदेशक जांच एवं पंजीकरण को प्रारंभिक जांच करने का आदेश भी दे सकता है । महानिदेशक, जाँच एवं पंजीकरण द्वारा प्रारम्भिक जांच पूरी करने के पश्चात आयोग द्वारा एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम की संबंधित धाराओं के अंतर्गत जांचें प्रारम्भ की जाती हैं और निष्कर्षों के परिणामस्वरूप जाँच के लिए आयोग को आवेदन प्रस्तुत करता है ।

एकाधिकारिक व्यापार प्रथाएं

4.3 धारा 10(ख) के अन्तर्गत एमआरटीपी आयोग के समक्ष वर्ष 2006 के आरंभ में 5 जांच लबित थी तथा अप्रैल, 2006 से दिसम्बर 2006 के दौरान कोई नई जांच प्रारंभ नहीं की गई । 31.12.2006 को सभी 5 जांचे लम्बित थी।

अवरोधक व्यापार प्रथाएं

धारा 10 (क)(i) के अंतर्गत

4.4.1 अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 की अवधि के दौरान गत वर्ष की 252 जांच सहित 291 जांचों पर विचार किया जिसमें से उक्त अवधि के दौरान 61 जांचे निपटा दी गई तथा 31 दिसम्बर 2006 को आयोग के समक्ष शेष 230 जांचे लंबित थी ।

धारा 10 (क)(ii) के अंतर्गत

4.4.2 अप्रैल 2006 - दिसम्बर 2006 के दौरान एक जाँच प्राप्त हुई थी और यह 31 दिसम्बर, 2006 को लम्बित थी ।

धारा 10 (क)(iii) के अंतर्गत

4.4.3 अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 40 जाँच सहित 51 जाँच को लिया गया था । उक्त अवधि के दौरान 9 जांच निपटा दी गई तथा 31 दिसम्बर 2006 को आयोग के समक्ष शेष 42 जांचे लंबित थी ।

धारा 10 (क)(iv) के अंतर्गत

4.4.4 वर्ष के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 56 जाँचों को लिया गया था और आयोग द्वारा अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 के दौरान 8 नई जाच को लिया गया था । इसमें से, उक्त अवधि के दौरान 30 जांच निपटा दी गई तथा 31 दिसम्बर, 2006 को आयोग के समक्ष 34 जांचे लंबित थी ।

अनुचित व्यापार प्रथाएं

4.5.1 1984 में एमआरटीपी अधिनियम में अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित उपबन्ध समाहित किए गए थे । अनुचित व्यापार प्रथा को धारा 36क में बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से किसी वस्तु के प्रयोग या पूर्ति करने या किसी सेवा के प्रदान करने, इसमें वर्णित एक या अधिक प्रथाओं को अपनाने तथा इससे ऐसी वस्तुओं या सेवाओं के उपभोक्ताओं को नुकसान या जोखिम होने पर, भले ही प्रतिस्पर्द्धा को समाप्त करने या प्रतिबंधित करने या अन्यथा के उद्देश्य से की जाने वाली व्यापार प्रथा के रूप में परिभाषित किया गया है ।

धारा 36ख(क) के अन्तर्गत

4.5.2 अप्रैल 2006 से दिसम्बर 2006 के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 456 जांच सहित 510 जांच पर विचार किया था । इनमें से, 114 जांच निपटा दी गई तथा शेष 396 जाँच 31 दिसम्बर, 2006 को लम्बित थी ।

धारा 36ख(ख) के अन्तर्गत

4.5.3 अप्रैल 2006-दिसम्बर 2006 की अवधि के दौरान एमआरटीपी अधिनियम, 1984 की धारा 36(ख) के अंतर्गत कोई जाँच नहीं प्रारम्भ की गई और न ही कोई जाँच पिछले वर्ष से लाई गई थी ।

धारा 36ख(ग) के अन्तर्गत

4.5.4 अप्रैल 2006-दिसम्बर 2006 के दौरान आयोग द्वारा पिछले वर्ष लाई गई 2 जाँच सहित 8 जाँच पर विचार किया गया था । इनमें से 4 जाँच निपटा दी गई थी और 31 दिसम्बर, 2006 को 4 जाँच लंबित है ।

धारा 36ख(घ) के अन्तर्गत

4.5.5 अप्रैल 2006 - दिसम्बर 2006 के दौरान आयोग द्वारा गत वर्ष की 180 सहित, 226 जाँच को लिया गया था। इनमें से 43 जांचे निपटा दी गई तथा 31 दिसम्बर, 2006 को आयोग के समक्ष शेष 183 जांच लंबित थी।

31.12.2006 के अनुसार एमआरटीपी आयोग द्वारा विचारित तथा निपटाई गई जाँच अस्थाई आदेश

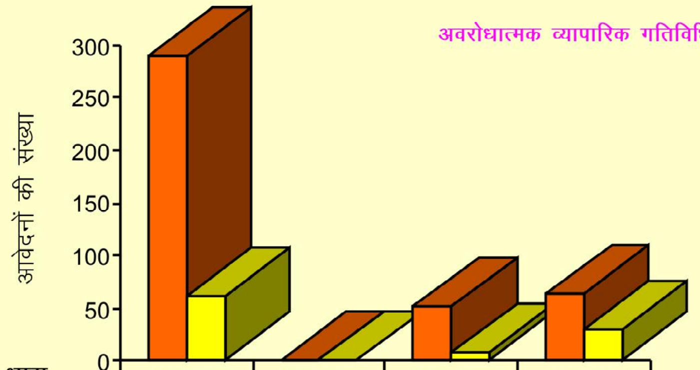

धारा	10(क)(i)	10(क)(ii)	10(क)(iii)	10(क)(iv)
विचार की गई	291	1	51	64
निपटाई गई	61	0	9	30

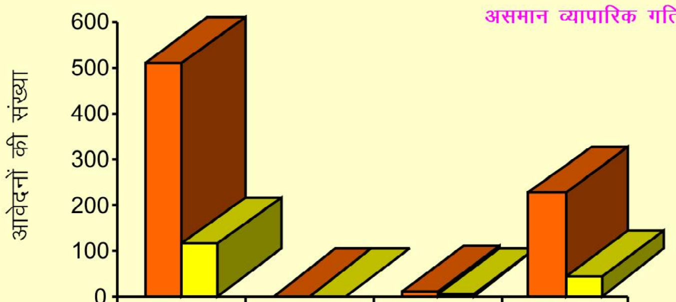

धारा	36ख(क)	36ख(ख)	36ख(ग)	36ख(घ)
विचार की गई	510	0	8	226
निपटाई गई	114	0	4	43

4.6 1 अप्रैल, 2006 को धारा 12क के अन्तर्गत एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग के समक्ष लम्बित 149 आवेदनों के अतिरिक्त आयोग द्वारा अप्रैल, 2006-दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान 69 आवेदन प्राप्त किए गए । इस तरह कुल 218 आवेदनों में से 160 आवेदन उक्त अवधि के दौरान निपटाए गए और शेष 58 आवेदन धारा 12क के अंतर्गत 31 दिसम्बर, 2006 को आयोग के पास लम्बित थे ।

मुआवजा दिया जाना

4.7 अप्रैल, 2006-दिसम्बर, 2006 की अवधि के दौरान धारा 12ख के अंतर्गत आयोग द्वारा पिछले वर्ष के 1209 आवेदनों सहित कुल 1323 आवेदनों पर विचार किया गया था । इसमें से उक्त अवधि के दौरान आयोग द्वारा 213 आवेदन निपटाए गए और 31 दिसम्बर, 2006 को शेष 1110 आवेदन लम्बित थे ।

करारों का पंजीकरण

4.8.1 एमआरटीपी अधिनियम, 1969 की धारा 35 के अंतर्गत अवरोधक व्यापार व्यवहार से संबंधित प्रत्येक करार जो अधिनियम की धारा 33(त्) में दी गई एक अथवा अधिक श्रेणियों में आता हो उसे 60 दिन के भीतर पंजीकरण के लिए प्रस्तुत करना अपेक्षित है ।

4.8.2 इस उपबंध के अनुसरण में अप्रैल, 2006 से दिसम्बर, 2006 के दौरान 14 करार पंजीकरण के लिए प्राप्त हुए । उन्हें पंजीकृत किया गया तथा पंजीकरण के रजिस्टर में उनकी प्रविष्टि की गई ।

4.8.3 विभिन्न उपक्रमों द्वारा 31 दिसम्बर, 2006 तक 40,014 करार दर्ज किए गए हैं । इनमें से 39,147 करारों के ब्यौरे की करारों के रजिस्टर में प्रविष्टि की गई ।

महानिदेशक (जाँच तथा पंजीकरण) द्वारा जाँच

जाँच

4.9 महानिदेशक को एमआरटीपी आयोग से प्रारम्भिक जाँच का कोई आदेश प्राप्त होने पर अवरोधक, एकाधिकार तथा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं के संबंध में प्रारम्भिक जाँच करता है । 1.4.2006 को 29 जाँच प्रगति पर थी । 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान प्राथमिक जाँच रिपोर्ट के 58 नए आदेश प्राप्त हुए थे । कुल 87 जाँच में से इस कार्यालय द्वारा 49 मामलों में प्राथमिक जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई थी । परिणामस्वरूप 31.12.2006 को 38 जाँच लंबित थी । इसके अतिरिक्त, महानिदेशक के पास एकाधिकारिक, अवरोधक तथा अनुचित व्यापार प्रक्रियाओं पर प्रारम्भिक जॉच स्वतः करने की शक्तियां हैं और जाँच के दौरान इनमें से किसी व्यापार प्रक्रियाओं का पता लगने पर महानिदेशक अधिनियम की धारा 10(क)(3)/10(ख) तथा 36ख(ग) के अंतर्गत माननीय एमआरटीपी आयोग द्वारा जाँच कार्यवाहियां प्रारम्भ करने के लिए आवेदन दायर करने के लिए प्राधिकृत है । 1.4.2006 को 251 स्वतः जाँच की जा रही थी । 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान 25 नई जाँच को लिया गया और 248 जाँच पूरी की गई । परिणामस्वरूप 31.12.2006 को 28 जाँच लंबित हैं । इस प्रकार की स्वतः जाँच के परिणामस्वरूप 1 अप्रैल, 2006 से 31 दिसम्बर, 2006 तक की अवधि के दौरान अधिनियम की धारा 36ख(ग) के अंतर्गत 6 आवेदन और अधिनियम की धारा 12क के अंतर्गत 6 आवेदनों को अस्थायी आदेश के लिए दायर किया गया था । इसके अतिरिक्त, उक्त अवधि के दौरान अवरोधक व्यापार प्रक्रियाओं की जाँच हेतु अधिनियम की धारा 10(क)(3) के अंतर्गत 6 आवेदन दायर किए गए थे । इस प्रकार 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवधि के दौरान कुल 18 आवेदन दायर किए गए हैं ।

उपभोक्ता संरक्षण

4.10 अब, उपभोक्ता संरक्षण आन्दोलन का प्रयास पूरे देश में जारी है । उपभोक्ता पूरे देश में उपभोक्ता निकायों के रूप में अपने आप में संगठित हो रहे हैं ताकि भ्रामक विज्ञापनों, मोल-भाव वाली खरीददारी, विक्रय संवृद्धि प्रतियोगिताओं का आयोजन, सही मानकीकृत न होने वाली वस्तुओं को बेचना आदि के माध्यम से अनुचित व्यापार में शामिल पार्टियों के विरूद्ध जनता और उपभोक्ताओं के हित सुरक्षित रखे जा सकें । अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित एक स्वतंत्र अध्याय एमआरटीपी अधिनियम, 1984 में जोड़ा गया था तथा उपभोक्ता इस अध्याय के अंतर्गत किए गए प्रावधानों का इस कार्यालय में शिकायत दर्ज कराकर इसका पूरा लाभ उठा रहे हैं । उनकी शिकायतों की तीव्र सुनवाई की सुविधा इस कार्यालय द्वारा मुहैया कराई जा रही है । 1.4.2006 को इस कार्यालय में 54 शिकायतों पर जाँच की जा रही थी । 1.4.2006 से 31.12.2006 तक की अवधि के दौरान इस कार्यालय को उपभोक्ता अथवा अन्य पक्षों से 140 नई शिकायतें प्राप्त हुई थी । उक्त अवधि के दौरान 136 शिकायतों को निपटा दिया गया था और इसके परिणामस्वरूप 31.12.2006 को 58 शिकायतें लंबित थी ।

जाँच का निष्पादन

आयोग के समक्ष

4.11 महानिदेशक एमआरटीपी आयोग के समक्ष जाँच कार्यवाहियों में लोकहित का रक्षक है और उसे आयोग के समक्ष लोकहित की रक्षा के लिए स्वंय अथवा अपने वकील के माध्यम से उपस्थित होना पड़ता है । 31.12.2006 को एमआरटीपी आयोग के समक्ष इस कार्यालय द्वारा 173 जाँच निष्पादित की जा रही हैं ।

सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष

4.12.1 सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों के समक्ष दायर और लम्बित अपीलों/याचिकाओं की स्थिति का विवरण नीचे दी गई तालिका 4.1 के अनुसार है -

तालिका - 4.1

सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालय के समक्ष दायर तथा लंबित अपील/याचिका

अपील/याचिका	1.4.2006 को लंबित	1.4.06 से 31.12.06 के दौरान दायर की गई	1.4.06 से 31.12.06 के दौरान निपटाई गई	31.12.06 को लंबित
सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील	33	2	6	29
विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिट	78	1	2	77

4.12.2 महानिदेशक सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के समक्ष सभी अपीलों/रिट याचिकाओं में विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधि कार्य विभाग के केन्द्रीय एजेंसी अनुभाग मुकदमा शाखा द्वारा नियुक्त अधिवक्ताओं के माध्यम से उपस्थित हो रहे हैं ।

4.12.3 1.4.2006 से 31.12.2006 की अवा के दौरान "व्यावसायिक तथा विशेष सेवाएं " शीर्ष के अंतर्गत कुल व्यय 1,92,470 रुपए था ।